



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022023-243866
CG-DL-E-24022023-243866

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126]
No. 126]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2023/फाल्गुन 4, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2023/PHALGUNA 4, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2023

फा. सं. 18-15/2896-आईएनसी.—भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है:-

जबकि, साईं इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, महीषि रोड़, धारावर, जिला धारावर – 580007, कर्नाटक, कर्नाटक राज्य सरकार और कर्नाटक नर्सिंग काउंसिल द्वारा जीएनएम कोर्स चलाने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, प्रधान सचिव, (एचएंडएफडब्ल्यू) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, कर्नाटक सरकार, कमरा नम्बर 105, प्रथम तल, विकास सौदा, बंगलौर – 560001, कर्नाटक को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए एक नोटिस सं. 18-15/2896-आईएनसी दिनांक 22/03/2021 जारी किया गया था। नोटिस दिनांक 22/03/2021 की एक प्रति साईं इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, महीषि रोड़, धारावर, जिला धारावर – 580007, कर्नाटक को भी भेजी गई थी। जारी नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

जबकि, साईं इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस के मामले में परिषद् को राज्य सरकार से कोई सिफारिश नहीं मिली है। यहां तक कि साईं इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस ने भी जारी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर समग्र विचार किया है। निरीक्षकों का दल जब सांविधिक निरीक्षण करने के लिए संस्थान पहुंची तो वहां ऐसी कोई संस्था मौजूद नहीं थी।

अब, इसलिए परिषद्, नियमों के अनुसार, घोषणा करती है कि 25/06/2022 से साईं इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस को राज्य सरकार के आदेश के अधीन बंद संस्थान माना जाएगा।

ले. कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./652/2022-23]

INDIAN NURSING COUNCIL
WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 22nd February, 2023

F. No. 18-15/2896-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Sai Institute of Nursing Science** situated at **Mahishi Road, Dharwad, Distt. Dharwad – 580007, Karnataka** is recognized by State Government of Karnataka and Karnataka Nursing Council to conduct GNM Course.

Whereas, a notice no. 18-15/2896-INC dated 22/03/2021 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Principal Secretary (H&FW), Health and Family Welfare Department, Government of Karnataka, Room No. 105, 01st Floor, Vikas Souda, Bangalore – 560001, Karnataka was issued. Copy of the notice dated 22/03/2021 was also enclosed to **Sai Institute of Nursing Science** situated at **Mahishi Road, Dharwad, Distt. Dharwad – 580007, Karnataka**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Sai Institute of Nursing Science**. Even the institution **Sai Institute of Nursing Science** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. When the team of Inspectors reached the institute for conducting statutory inspection, there was no such institution existing.

Now therefore, the Council in terms of the regulations, declares that with effect from 25/06/2022 the **Sai Institute of Nursing Science** shall be treated as closed institution subject to orders of State government.

Lt. Col. (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./652/2022-23]